*समावेशी विकास को बढ़ावा देना: अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साझेदारी को मजबूत करना**

श्री स्वामीनाथन जे.

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक, श्री सुमन रे; नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक, श्री सचिन शेंडे; राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की मुख्य महाप्रबंधक, सुश्री रश्मि दराद; बैंक ऑफ महाराष्ट्र के महाप्रबंधक और एसएलबीसी महाराष्ट्र के संयोजक, श्री आर.डी. देशमुख; बैंकों के वरिष्ठ अधिकारीगण, अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम), अग्रणी जिला अधिकारी (एलडीओ) और यहां उपस्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के मेरे साथी-गण।

सुप्रभात, आज मुझे महाराष्ट्र के अग्रणी जिला प्रबंधकों के इस सम्मेलन को संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

नागपुर के पास आकर और वह भी एलडीएम के सम्मेलन के लिए यहाँ होने के कारण, अगर मुझे श्री बाबा आमटे की याद न आए, जिनका आश्रम कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, तो यह अनुचित होगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था-संचालित संवृद्धि के समर्थकों में से एक थे। उनके लिए एक उद्धरण का यह अंश है, जो कहता है, *"एक संतुलित आर्थिक प्रणाली वह है जिसमें सभी के लिए पर्याप्तता और कुछ के लिए आधिक्य होता है..."*

जब आप इस उद्धरण का विश्लेषण करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि एलडीएम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पर्याप्तता को सुगम बना रहे हैं। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्तता को सुगम बनाकर अर्थव्यवस्था को संतुलित करना आज भी उतना ही सच है जितना तब रहा होगा जब यह कथन कहा गया था। जब आप आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24 के परिणामों को देखते हैं, तो यह पाया गया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3 प्रतिशत आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है और वर्तमान कीमतों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 18.2 प्रतिशत है।[1]

इसलिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के फलने-फूलने के साथ, लीड बैंकों की भूमिका पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है। दरअसल, आरबीआई ने आरबीआई@100[2] के लिए बहु-वर्षीय समय-सीमा में जो आकांक्षात्मक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वे *'समाज के सभी वर्गों के लिए वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उपलब्धता और गुणवत्ता'* पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं।

यह वह अंतर्निहित सिद्धांत है जिसने वर्ष 1969 में अग्रणी बैंक योजना (लीड बैंक स्कीम - एलबीएस) की संकल्पना की थी। अग्रणी बैंक से यह अपेक्षा है कि वह ऋण संस्थाओं और सरकार के प्रयासों के समन्वय के लिए नेतृत्व की भूमिका निभाए। और इस नेतृत्व की भूमिका के अंतर्गत, एलडीएम की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता।

एलबीएस ढांचे के प्रमुख स्तंभों के रूप में, आपके पास अल्प-सेवित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने और ऋण तक पहुँच प्रदान करने, आर्थिक उन्नति को सुविधाजनक बनाने की जिम्मेदारी है, जिसके परिणाम व्यक्तिगत रूप से संतोषप्रद हो सकते हैं। तेलंगाना में एसएलबीसी के संयोजक के रूप में कार्य करने के बाद, मैं एलबीएस मंच के माध्यम से जनित वास्तविक प्रभाव से प्राप्त गहन संतुष्टि की पुष्टि कर सकता हूं।

पिछले कुछ वर्षों में एलडीएम की भूमिका और जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है। लेकिन इन असंख्य उद्देश्यों की बुनियाद वही है। आज मैं एलडीएम के कामकाज से हमारी कुछ अपेक्षाओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। आसानी से याद रखने के लिए, मैंने संक्षिप्त नाम - एलडीएम - को एक अलग रूप देने का प्रयास किया है और तीन विशेषताओं की पहचान की है, यथा **(एल/L) संपर्क, (डी/D) डिजाइनिंग और विकास, और (एम/M) निगरानी और प्रेरणा।** अब मैं इन पर विस्तार से चर्चा करूंगा।

संपर्क

संपर्क/मेल-जोल का कार्य अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत से ही निहित है। स्वतंत्रता के बाद समावेशी विकास की ओर भारत की यात्रा को गरीबी कम करने और जीवन स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहलों द्वारा आकार दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य

* 30 नवंबर 2024 को ताडोबा, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में आयोजित महाराष्ट्र के अग्रणी जिला प्रबंधकों के सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. का बीज वक्तव्य।

[1] आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, 22 जुलाई 2024 को संसद में प्रस्तुत किया गया।

[2] गवर्नर का वक्तव्य: 7 जून 2024।

सेवा और स्वच्छता जैसी अत्यावश्यक सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करना, साथ ही उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करना, इन प्रयासों का केंद्र रहा है। यह बात सुनिश्चित करने पर प्रमुखता से ध्यान दिया गया है कि आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से हाशिए पर खड़े समूहों तक पहुँचे। अपने मूल में, एलबीएस ढांचा बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सरकारी तंत्र के बीच समन्वित प्रयासों की सुविधा प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग सेवा तक पहुँच में सुधार होता है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि होती है।

एलबीएस तंत्र की पहुँच उधारकर्ता स्तर से शुरू होकर सीधे राज्य तक है। और नोडल निकाय के रूप में कार्य करने में एलडीएम का कर्तव्य माइल-टू-माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। इस प्रकार, उन्हें नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों और आरबीआई के अग्रणी जिला अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से काम करके, बैंकिंग-रहित केंद्रों की जानकारी एकत्र करने, ऋण प्रवाह के संबंध में बाधाओं या अंतरालों की पहचान करने के लिए आरंभिक स्तर पर समन्वय करना पड़ सकता है। इसके लिए एक स्व-चालित प्रणाली का होना आवश्यक है, जिसमें जिला परामर्शदात्री समितियों से लेकर एसएलबीसी तक की विभिन्न बैठकें प्रभावी ढंग से और समय पर आयोजित हों। इस प्रकार, एलडीएम की भूमिका का एक महत्वपूर्ण गुण जमीनी स्तर पर प्रभावी संपर्क है।

डिजाइन और विकास

डिजाइन और विकास का पहलू, ऋण योजनाओं से शुरू होता है। ऋण नियोजन को केंद्र की आवश्यकताओं को बताने के लिए अधरोर्ध्व (bottom-up) दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और फिर उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त योजना तैयार करनी चाहिए। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि जबकि लक्ष्य विचारों में आकांक्षापूर्ण होने चाहिए, वे कार्यान्वयन के स्वरूप में पर्याप्त यथार्थवादी होने चाहिए और स्थानीय ऋण आवश्यकताएं प्रतिबिंबित करने चाहिए।

इसके अलावा, डेटा और विश्लेषणात्मक मॉडलों की प्रचुरता के इस युग में, ऋण योजना के डिजाइन के लिए डेटा-आधारित अनुभवजन्य दृष्टिकोण आवश्यक है। ऐसी तकनीकें हस्तक्षेप के लिए लक्षित रणनीतियों को विकसित करने में आसानी प्रदान करती हैं। ऐसा कहने के बाद, डेटा संग्रह का प्राथमिक चरण क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से होना चाहिए और इसे केवल अकादमिक समझ से प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। क्षेत्र सर्वेक्षण उन क्षेत्रों की पहचान करने में भी सक्षम बनाता है जिन्हें ऋण प्रवाह की अधिक आवश्यकता है और जिनके पास ऋण सेवा की बेहतर क्षमता है। यह वह आधार होना चाहिए जिस पर आप बैंक योग्य योजनाएँ तैयार करते हैं।

आंकड़े बताते हैं कि लगभग आधे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को अभी भी औपचारिक ऋण से जोड़ा जाना बाकी है, और लघु और सीमांत किसानों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बैंक वित्तपोषण तक पहुंच से वंचित है। संभावित उधारकर्ताओं का एक और वर्ग जो अल्प-सेवित रह गया है, वह है एमएसएमई और उसके भी भीतर, महिलाओं द्वारा संचालित। इसलिए, जब हम क्रेडिट प्लान के डिजाइन के लिए आपके व्यावहारिक अनुभव के साथ एक अनुभवजन्य दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को उपयुक्त संभाव्यता-युक्त ऋण आयोजना के साथ-साथ ब्लॉक और जिला-स्तरीय क्रेडिट रणनीतियों के माध्यम से प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है। विचार यह है कि आप अपनी योजनाओं को जिले के समग्र मूल्यांकन पर आधारित करें। अंतिम उद्देश्य क्रेडिट योजनाओं के व्यवस्थित डिजाइन के माध्यम से मापने योग्य परिणाम लाना है।

निगरानी और प्रेरणा

'एलडीएम' विशेषताओं का 'एम' निगरानी और प्रेरणा को दर्शाता है। वास्तव में, निगरानी वाला हिस्सा एलडीएम के निर्धारित कर्तव्यों में समाहित है। सरकारी विभागों और ब्लॉकों के बीच संपर्क होने के नाते, वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) और विभिन्न कार्यक्रमों के आरंभिक स्तर पर कार्यान्वयन की सफलता को संप्रेषित करने की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी एक प्रभावी निगरानी तंत्र पर टिकी हुई है। इससे ऋण के प्रवाह में आने वाली समस्याओं या बाधाओं की पहचान करने में भी मदद मिलेगी, जिसे लक्षित मध्यक्षेपों के लिए ऋण योजनाओं को तैयार करते समय उपयुक्त रूप से ध्यान में रखा जा सकता है।

आपके पास जिला स्तर से लेकर राज्य सरकार, एसएलबीसी या एसएलसीसी तक निगरानी तंत्र की पूरी मशीनरी है। प्रत्येक स्तर पर निगरानी की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह की समीक्षा करते हैं और फिर सही चैनल के माध्यम से संचार करते हैं। अपनी कार्य-पद्धति में, मैं हमेशा 'समाधान करने' पर जोर देता हूं। संभवतः आप भी एक ऐसी ही उपयुक्त प्रणाली विकसित कर सकते हैं, जिसमें आपकी निगरानी

आवश्यक संचार के माध्यम से आगे बढ़े और उचित स्तर पर समस्या का अंततः समाधान हो।

अब मैं विशेषताओं के प्रेरक भाग पर आता हूँ। मेरा इससे तात्पर्य है, एक बहुत ही विशिष्ट अर्थ में 'प्रेरक'। एलडीएम को वित्तीय साक्षरता को और बढ़ावा देने पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए, आप भी जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं और डिजिटल वित्तीय समावेशन को और अधिक अपनाने के लिए निर्देशित या प्रेरित कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता समग्र समावेशन की आधारशिला है, जो व्यक्तियों को सुविचारित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाती है।

आम लोगों को उनके लिए उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, चाहे वह बीमा और पेंशन योजना जैसे सामाजिक सुरक्षा उत्पाद हों, जो जोखिमों को कवर करेंगे, या श्रेणी-विशिष्ट ऋण उत्पाद जो उन्हें उत्पादक आर्थिक गतिविधियाँ करने में सक्षम बनाएंगे। डिजिटल लेन-देन करने में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

अकेले महाराष्ट्र में ही वित्तीय साक्षरता के लिए 118 केंद्र (सीएफएल) और 61 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) हैं जो आधारभूत स्तर पर वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। एलडीएम को यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए कि एफएलसी अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करें, सीएफएल का समर्थन करें, सीएफएल शिविरों में भाग लें और इन शिविरों के उचित संचालन की देखरेख करते हुए वित्तीय सेवाओं के जुड़ाव को सुविधाजनक बनाएं।

प्रौद्योगिकी का उपयोग न केवल हमारी पहुंच का विस्तार करता है बल्कि बैंकिंग को अधिक सुलभ, दक्ष और किफायती बनाता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और पायलट पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट (पीटीपीएफसी) सहित डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आरबीआई का हालिया जोर, जिसे अब यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) नाम दिया गया है, डिजिटल वित्तीय समावेशन में सुधार के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य ऋण तक पहुंच को सरल और व्यापक बनाना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

आपको यह भी विदित होगा कि 'एक्सपैंडिंग एंड डीपेनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम प्रोग्राम (ईडीडीपीई)' के तहत, एसएलबीसी ने देश के हर जिले को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिससे डिजिटल भुगतान का विस्तार हुआ है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आज की तारीख में, देश भर में 410 जिले डिजिटल रूप से सक्षम हैं तथा इस पहल के तहत 13 राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों ने 100 प्रतिशत जिलों को कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही महाराष्ट्र राज्य भी इस सूची में शामिल हो जाएगा। इसके लिए, मैं एलडीएम सहित सभी हितधारकों से कार्यक्रम के सफल निष्पादन के लिए प्रभावी समन्वय का अनुरोध करता हूं।

एक और पहलू जिस पर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, वह है संधारणीय वित्तपोषण का मुद्दा। हम सभी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में सुन रहे हैं और वित्तीय संस्थाएँ इससे उत्पन्न होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए किस तरह से कमर कस रही हैं। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा का एक मुख्य बिंदु - संधारणीय वित्तपोषण है। वर्तमान परिवेश में, हमें ऐसे वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो संधारणीय और जलवायु-सुदृढ़ प्रथाओं का समर्थन करता हो, ताकि जलवायु जोखिमों को कम किया जा सके और महत्वपूर्ण आजीविका की रक्षा की जा सके। इन परिवर्तनों को साकार करने के लिए कृषि और ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना में अधिक अवसर हैं। बुनियादी स्तर पर काम करने के स्वरूप, आपके पास देश को हरित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करने के लिए आवश्यक परिवर्तन को प्रेरित करने का मंच है।

निष्कर्ष

सम्मेलन का विषय है *'समावेशी विकास को बढ़ावा देना: अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साझेदारी को मजबूत करना'।* एलडीएम अपनी भूमिका के अनुसार, विभिन्न स्तरों - ब्लॉक, जिला और राज्य - पर आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए एक निर्बाध कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए सबसे शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं।

पिछले कुछ दशकों में, एलबीएस भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुरूप विकसित हुई है। अपने मूल में, एलबीएस ढांचा बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सरकारी तंत्र के बीच समन्वित प्रयासों की सुविधा प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग अभिगम में सुधार होता है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि होती है। इस संबंध में, हम पहले ही एलडीएम की भूमिका को विस्तार से परिभाषित कर चुके हैं। आज मैंने जिन 'एलडीएम' विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, वे इन भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें लागू करने का एक प्रयास हैं।

हम आज यहां ताडोबा अभ्यारण्य में हैं। यदि मैं एक उदाहरण देना चाहूँ, तो एलबीएस के पीछे का उद्देश्य एक तरह का आर्थिक अभ्यारण्य बनाना भी है, जिसमें संसाधनों को अल्प-सेवित और हाशिए पर खड़े लोगों की ओर प्रवाहित किया जाता है और असुरक्षित लोगों की रक्षा की जाती है। और अगर मैं इस उदाहरण को आगे बढ़ाऊँ, तो एलडीएम वन्यजीव रेंजरों के समतुल्य हैं।

मुझे यकीन है कि आपको यह सम्मेलन उपयोगी लगा होगा, और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप इस मंच का लाभ उठाकर अपनी चिंताओं को व्यक्त करें और अपने जिलों और महाराष्ट्र राज्य तथा इस प्रकार देश की निरंतर प्रगति के लिए अधिक-से-अधिक विचार एकत्र करें। मैं आपके सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और इस अवसर के लिए क्षेत्रीय निदेशकों को धन्यवाद देता हूँ।

धन्यवाद।

*उभरते जोखिमों के मध्य पर्यवेक्षण**

श्री स्वामीनाथन जे.

दुनिया भर से आए सम्मानित प्रतिनिधिगण, आदरणीय गवर्नर महोदय, उप गवर्नर-गण और भारतीय रिज़र्व बैंक के मेरे सभी सहकर्मीगण, देवियो और सज्जनो। आप सभी को नमस्कार।

वास्तव में, मेरे लिए इस प्रतिष्ठित पैनल के समक्ष उद्घाटन भाषण देना सम्मान की बात है, जिसमें जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. जॉन मुशायावन्हू, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर श्री एस.एस.मूंदड़ा, आईएमएफ के मौद्रिक और पूंजी बाजार विभाग के वित्तीय पर्यवेक्षण और विनियमन प्रभाग के प्रभाग प्रमुख श्री जय सुरती, ई एंड वाई में साइबर सुरक्षा के भागीदार श्री कृष्ण शास्त्री पेंड्याला और पैनल के संचालक, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव श्री एम. नागराजू शामिल हैं।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की निगरानी, जैसा कि हम आज समझते हैं, एक अपेक्षाकृत हालिया विकास घटनाक्रम है - लगभग पचास वर्ष पहले की बात है[1]। हालाँकि, बैंकों की निगरानी की अवधारणा केंद्रीय बैंकिंग की नींव में ही अंतर्निहित है। शुरुआती दिनों से, केंद्रीय बैंकों ने अंतिम ऋणदाता के रूप में अपनी भूमिका निभायी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वित्तीय संस्थाएं शोधक्षम बनी रहें और प्रणालीगत संकटों से सुरक्षित रहें। वास्तव में, पर्यवेक्षण वह आधारशिला[2] रहा है जिसने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करके और इस तरह बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास को बढ़ावा देकर वित्तीय प्रणाली की अखंडता और स्थिरता का समर्थन किया है।

जैसे-जैसे दुनिया तेज़ी से विकसित हो रही है, वित्तीय क्षेत्र के सामने आने वाले जोखिमों की प्रकृति भी बदल रही है। प्रौद्योगिकीय उन्नति से अविश्वसनीय दक्षता तो हासिल हुई है, लेकिन साथ ही साइबर सुरक्षा के खतरे और तीसरे पक्ष की निर्भरता से उत्पन्न होने वाले जोखिम जैसी महत्वपूर्ण असुरक्षाएँ भी देखने को मिलती हैं।

जलवायु परिवर्तन, जिसे कभी दूरगामी चिंता माना जाता था, अब संस्थाओं और अर्थव्यवस्थाओं के लिए तत्काल और भौतिक जोखिम उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, अस्थिर बाजारों और बदलते समष्टि-आर्थिक रुझानों की जटिलताएं भी हैं। इस प्रकार, पर्यवेक्षण का कार्य पहले से कहीं अधिक गतिशील और महत्वपूर्ण हो गया है।

इसलिए, पर्यवेक्षण को समय के साथ विकसित करने की आवश्यकता है और अब इसका मतलब महज अनुपालन लागू करना नहीं रह गया है। इसके बजाय, इसे जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने, पूर्वानुमानित और अप्रत्याशित, दोनों तरह के जोखिमों पर तुरंत प्रतिक्रिया करने और वित्तीय प्रणाली में समुत्थानशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है।

मुझे यह स्पष्ट करने के लिए कुछ समय दें कि समुत्थानशीलता (रेज़िलिएन्स) का क्या अर्थ है। जहां स्थिरता यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय प्रणाली अपनी कार्य करने की क्षमता गवाएँ बिना आघातों का सामना कर सकती है, समुत्थानशीलता एक कदम आगे जाती है। समुत्थानशीलता यह दर्शाती है कि वित्तीय प्रणाली झंझावात का सामना करने के अलावा, नई परिस्थितियों के अनुकूल बदलने और उसमें पनपने में सक्षम है[3], ताकि यह विश्वास और स्थिरता की द्योतक बनी रहे।

वित्तीय सुदृढ़ता विकसित करने के लिए पर्यवेक्षण सक्रिय, निरंतर, दूरदर्शी और जोखिम-केंद्रित होना चाहिए। एक प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण प्रणाली के लिए पर्यवेक्षक को प्रत्येक बैंक के जोखिम प्रोफाइल का निरंतर, दूरदर्शी मूल्यांकन बनाए रखने की आवश्यकता होती है[4] - जो उनके प्रणालीगत महत्व के साथ संरेखित होता है। पर्यवेक्षकों को एकल संस्थाओं और संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और समाधान करने में सक्षम होना चाहिए। इसमें प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्पष्ट आकस्मिक योजनाओं के लिए एक भली-भांति परिभाषित रूपरेखा का होना भी शामिल है ताकि गैर-व्यवहार्य बैंकों का सुव्यवस्थित और

---

* 22 नवंबर 2024 को मुंबई में आयोजित ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों के उच्च स्तरीय नीति सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. का उद्घाटन भाषण।

1 मास्कियांडारो , डी एंड एम क्विंटिन (2013) "दि इवॉल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन: द कंटीन्यूइंग सर्च फॉर द होली ग्रेल", एसयूईआरएफ 50वीं वर्षगांठ खंड अध्याय: 263-318 ।

2 कीस्टोन, मेहराब के शिखर पर स्थित खूँटे (वेज) के आकार का टुकड़ा होता है जो अन्य टुकड़ों को अपनी जगह पर लॉक करता है।

3 मैरी डॉवेल-जोन्स और रॉस बकले, रीकंसीविंग रेजिलिएंस: ए न्यू गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर फाइनेंशियल रेगुलेशन?, 37 न्यू. जे. इंटरनेशनल एल. एंड बिजनेस 1 (2017)। http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol37/iss1/।

4 *सिद्धांत 8: बासेल मूल सिद्धांतों के पर्यवेक्षी दृष्टिकोण से पता चलता है कि बैंकिंग पर्यवेक्षण की एक प्रभावी प्रणाली के लिए यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षक प्रत्येक बैंक के जोखिम प्रोफाइल का एक भविष्योन्मुख मूल्यांकन विकसित करे और उसे बनाए रखे, जो उसके प्रणालीगत महत्व के अनुपात में हो; बैंकों और समग्र रूप से बैंकिंग प्रणाली से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान करे, उनका आकलन करे और उनका समाधान करे; समयपूर्व हस्तक्षेप के लिए एक रूपरेखा तैयार करे; और अन्य प्रासंगिक प्राधिकारियों के साथ साझेदारी में, बैंकों के अव्यवहार्य हो जाने पर उनका सुव्यवस्थित तरीके से समाधान करने के लिए कार्रवाई करने की योजनाएं बनाए।*